150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

परिवहनवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज,)302005

क्रमांकः– प.23(17) परि/प्र.नि./योजना/2017/पार्ट–I/17736 जयपुर, दिनांक 4/8/2022

संशोधन आदेश

परिवहन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.23(01) परि/प्र.नि/योजना/2017 दिनांक 04.10.2017 के द्वारा राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन)–2017 के बिन्दु संख्या 09 (i) के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

09. प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली स्टेशनरी :–

(i) विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र, स्टीकर आदि स्टेशनरी REIL द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी जो अधिकृत जांच केन्द्रों को उसके द्वारा गैस ऐनेलाईजर/स्मोक मीटर के Protocol matching के पश्चात् आंवटित की जायेगी। ऑफलाईन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र हेतु प्रि–प्रिंटेड प्रमाण पत्र/स्टेशनरी रील द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रदूषण जांच केन्द्रों पर वाहनों की जांच करते समय वाहनों पर 10 वर्ष पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर कलर कोड स्टीकर लगाया जाना विनिश्चित किया गया है। कलर कोड स्टीकरों में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्रों का रंग गुलाबी व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्रों का रंग पीले रगं का तथा इनके स्टीकर्स को Wind Screen पर चस्पा किया जाना है जिसकी सुनिश्चितता प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी के स्तर पर की जानी है।

(कन्हैयालाल स्वामी)
आयुक्त
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

Phone : 0141-2740021,2850600, Fax :0141-2740177, Email : transport@rajasthan.gov.in/ transport.pollution@rajasthan.gov.in, Web : www.transport.rajasthan.gov.in